CommunicationsInc.

MEDIA TRACKING SHEET

CLIENT: FHRAI

PUBLICATION	EDITION	DATE	PAGE NO
Rashtriye Sahara	**Print**	**12th April 2017**	

हाईवे पर शराब बिक्री पर रोक से होटल उद्योग को अरबों की क्षति

▶ इस फैसले से करोड़ों लोगों पर मंडराया रोजगार का संकट ▶ व्यवसाय से जुड़ा फेडरेशन दायर करेगा पुनर्विचार याचिका

■ मुफीज जिलानी
नई दिल्ली। एसएनबी

राष्ट्रीय एवं राज्यों के हाईवे के 500 मीटर इर्द-गिर्द शराब की दुकानें प्रतिबंधित करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से होटल एंड रेस्टोरेंट व्यवसाय पर प्रतिकूल असर पड़ा है। द फेडरेशन आफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन आफ इंडिया का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के उक्त निर्णय से जहां व्यवसाय को करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है वहीं सरकार को राजस्व का भी भारी नुकसान हो रहा है। इसके अलावा शराब की बिक्री पर प्रतिबंध के चलते विदेशी पर्यटकों के आगमन में भी कमी की आशंका जताई गई है। होटल एवं रेस्टोरेंट व्यवसाय से करीब पांच करोड़ से ज्यादा लोग जुड़े हैं जिनके सामने रोजगार का संकट पैदा हो गया है।

गौरतलब है कि पिछले साल 15 दिसम्बर को दिये गए सुप्रीम कोर्ट के उक्त निर्णय के अनुपालन में एक अप्रैल 2017 से राष्ट्रीय राजमार्गों और राज्य राजमार्गों के 500 मीटर इर्द गिर्द शराब की दुकानों और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया। राजधानी में मंगलवार को आयोजित एक प्रेस कांफ्रेंस में फेडरेशन के अध्यक्ष (पूर्वी क्षेत्र) सुदेश कुमार पोद्दार ने बताया कि हमारी फेडरेशन इस फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर करने पर विचार कर रही है।

पोद्दार ने कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के दो पूर्व जजों जस्टिस एपी शाह और जस्टिस एस. श्रीकृष्ण से इस बारे में राय ली गई थी जिन्होंने बताया था कि होटल और रेस्टोरेंट इस दायरे में नहीं आते। यही नहीं एडवोकेट जनरल मुकुल रोहतगी ने भी केरल सरकार को यह परामर्श दिया था कि वह हाईवे के नजदीक चलने वाले होटल रेस्टोरेंट के बारों के लाइसेंस रिनीव कर सकती है। जिसके बाद केरल, असम, हरियाणा, महाराष्ट्र और अरुणाचल में यह प्रक्रिया शुरू हुई थी। लेकिन इस विषय में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपील खारिज कर दिये जाने के बाद एक अप्रैल से हाईवे के नजदीक के एक लाख होटलों और रेस्टोरेंट के बार पूरी तरह बंद हो गए हैं।

राजस्व व रोजगार प्रभावित
संगठन का दावा है कि राष्ट्रीय राजमार्गों और राज्यीय राजमार्गों के इर्द गिर्द होटल एंड रेस्टोरेंट में बार पर प्रतिबंध से दो लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का सालाना नुकसान होने का अनुमान है। इसमें सरकार को मिलने वाला राजस्व भी शामिल है। इस फैसले से पांच करोड़ से ज्यादा रोजगार प्रभावित होंगे। यह कुल भारतीय रोजगार का नौ फीसद है।

जीडीपी में योगदान
पर्यटन क्षेत्र, ट्रेवल और हास्पिटलिटी व्यवसाय का भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में बड़ा योगदान है। एक अनुमान के मुताबिक यह योगदान 200 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी जीडीपी का 9.5 फीसद।

क्या था मामला : मद्रास हाईकोर्ट में अधिवक्ता के.बालू द्वारा दायर जनहित याचिका में हाईवे पर स्थित शराब की दुकानों को हटाने की मांग की थी। याचिकाकर्ता का कहना था कि इसे सड़क हादसों में इजाफा होता है। ऐसी ही एक जनहित याचिका ड्राइव्ड सेफ सोसायटी ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट चंडीगढ़ में दायर की गई थी। बाद में यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था, जिसको रोशनी में अदालत ने यह फैसला सुनाया है।

जहां शराब बंदी वहां क्यों हैं दुर्घटनाएं : फेडरेशन का कहना है गुजरात-बिहार में शराब बंदी के बावजूद सड़क दुर्घटनाओं की संख्या काफी ज्यादा है। इसकी वजह यह है कि संगठित क्षेत्र में तो पाबंदी लग गई है लेकिन असंगठित क्षेत्र में अब भी शराब की बेरोकटोक बिक्री जारी है।

चोरी छिपे होती है बिक्री : संगठन का दावा है कि पाबंद का असर यह है कि अब हाईवे के पास चाय-पान की दुकानों और छोटे-छोटे ढाबों पर चोरी छिपे शराब की बिक्री हो रही है। इससे असंगठित क्षेत्र को फायदा हो रहा है जबकि संगठित क्षेत्र को करोड़ों का नुकसान।

मजबूत नीति की जरूरत : संगठन के उपाध्यक्ष गिरीश ओबेरॉय का कहना है कि सरकार को हाईवे पर पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ानी चाहिए। शराब पीकर ड्राइव करने वाले पर भारी भरकम जुर्माने के साथ उसका लाइसेंस रद्द किया जाना चाहिए और वाहन तक जब्त कर लेना चाहिए। सिर्फ जुर्माना ही पर्याप्त नहीं है। आजकल सभी हाईवे पर टोल नाके हैं वहां पर परमानेंट एक डाक्टर का इंतजाम हो और वहां वाहन चालकों का चेकअप किया जाना चाहिए जो नशे में हो उसपर कार्रवाई होनी चाहिए।

होटलों को मिले अधिकार : संगठन का एक सुझाव यह भी है कि होटल प्रबंधन को यह अधिकार मिले कि निर्धारित सीमा (0.8 फीसद अलकोहल) से ज्यादा अगर कोई ड्रिंक करना चाहे तो उसे वह परोसने से इनकार कर दे। ऐसी सूरत में पुलिस को सूचना दी जाए तो पुलिस होटल प्रबंधन का सहयोग करे।

सिक्किम और मेघालय बेअसर: एचआरएडीआई के वरिष्ठ उपाध्यक्ष विनय मलहोत्रा ने बताया कि दरअसल यह दोनों स्थान ज्यादातर पहाड़ी क्षेत्र हैं। हाईवे के इर्द गिर्द 500 मीटर के दायरे में तो खाई होती है या दूसरी ओर पहाड़ होता है। इसलिए इन स्थानों को इस निर्णय से मुक्त रखा गया है।